

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- महाराजगंज**

ग्राम आराजी अमानी में हुई महिला की हत्या का खुलासा, पत्नी की हत्या करने वाला व्यक्ति स्वयं उसका पति; वादी मुकदमा सहित 02 गिरफ्तार, आला कत्ल में प्रयुक्त 01 तमंचा, 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद।

मु0अ0सं0 203/22 धारा 302, 34 IPC में वादी संतविजय यादव उपरोक्त द्वारा अपने भाई के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर उक्त मुकदमे में ग्राम प्रधान तहसीलदार यादव सहित अन्य व्यक्तियों (जिनसे रंजीश रखता था) को अभियुक्त को बनाया गया ।

दिनांक 02.06.22 को एसओ श्री ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 कमलेश यादव, द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के 02 नफर अभियुक्त जो मुकदमा उपरोक्त में वादी/वादी का भाई थे पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर इकबालिया जुर्म के आधार पर अभियुक्त 1.संतविजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष 2. कन्हैया यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- वादी मुकदमा/अभियुक्त संतविजय यादव ने बताया कि साहब कि हमारे चाचा जयराम ने अपने हिस्से की जमीन चन्द्रशेखर यादव की सरहज आशा देवी पत्नी सुरेन्द्र यादव निवासी बगई मु0 बनहरा चांदपट्टी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को व अपने ही गांव के जरीना पत्नी मुनीर को बेच दिये थे । आशा देवी की जमीन पर चन्द्रशेखर यादव ने कब्जा करा दिया था उस कब्जे के दौरान भी मैंने काफी विरोध किया था इसके बाद जरीना पत्नी मुनीर द्वारा भी कब्जे का प्रयास किया जाने लगा था मुझे लगा कि ये लोग भी कब्जा कर लेंगे । दिनांक 22.05.22 को जरीना के प्रा0पत्र पर राजस्व विभाग के लोग व पुलिस विभाग को लेकर पैमाईश करने हेतु पहुँच गये , पैमाईश पूरी न होने पाये इस आशय से मैंने तहसीलदार यादव आदि से मारपीट कर पैमाईश रोकवाते हुए आपके थाने में मु0अ0सं0 180/22 धारा 147,323,504,506 भादवि बनाम ताहा पुत्र मुनीश,आदि 06 नफर के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया । उक्त मुकदमा लिखवाने के उपरान्त भी वो लोग पुनः पैमाईश को लेकर प्रयासरत थे । फिर मैंने उसी रात अपने पिता के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने व पिता के घायल होने के सम्बन्ध में 112 पर रात्रि करीब 1.30 बजे सूचना दिया था तथा मैंने थाना महाराजगंज पर झूठा मु0अ0सं0 181/22 धारा 307,504,506 भादवि बनाम 1. तहसीलदार यादव आदि 04 नफर निवासीगण आराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया था जिसमें मेरे पिता के मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों द्वारा गोली लगने का जिक्र नहीं किया गया । मैंने सोचा कि छोटे-मोटे मुकदमों से काम नहीं बनेगा हम अपने भाई कन्हैया से मिलकर एक रणनीति बनाकर रात में अपनी पत्नी अंतिमा को देशी कट्टे से गोली मार दिया तथा उक्त मुकदमे में उन लोगों को मुल्जिम बनाया जिनसे मेरे विवाद चल रहा था या मैं रंजीश रखता था साहब अंतिमा से मैंने शादी नहीं किया था उसको मैं भगाकर ले आया था तथा उसे अपनी पत्नी की तरह रखा था । जब मैं अन्तिमा को लेकर अपने गाँव आया तो गाँव के लोगो के बीच इस बात की जानकारी हो गयी कि सन्तविजय यादव जिस लड़की को लेकर आया है वह अनुसूचित जाति की है और चट्टी-चौराहे पर चर्चा आम हो गया था जिस बात की जानकारी होने पर मुझे बहुत ग्लानि होती थी इसी बीच अंतिमाऔर मुझसे आपस में झगड़ा भी होता रहता था उसी समय से मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पत्नी अंतिमा को रास्ते से हटाना चाहता था दूसरा कोई उपाय न देखकर मैंने सोचा कि क्यो ना एक तीर से दो शिकार करते हुए मैंने अपने भाई कन्हैया से राय कर सहमति प्राप्त कर योजना बनाकर रात में सोते समय अपने पत्नी अंतिमा को अपने देशी तमन्चे से गोली मारकर अपने भाई कन्हैया की मदद से नाजायाज असलहे कोव कारतूस को मड़ई में छिपाकर शोर मचाया कि मेरी पत्नी को मेरे दुश्मन 1.तहसीलदार यादव पुत्र रामचन्द्र यादव 2. चन्द्रशेखर यादव पुत्र तिर्थराज यादव 3. उपेन्द्र यादव पुत्र रमायन यादव 4. मोहम्मद ताहा पुत्र मुनीर 5.शीला पत्नी रमाशंकर निवासीगण अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ ने गोली मार दिया जिस सम्बन्ध मैंने थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0

203/22 धारा 302,452,120B IPC पंजीकृत करवाया था। साहब मैं सोच रहा था कि मैं अपने इस रणनीति में सफल हो जाऊंगा मेरी पत्नी की हत्या के जुर्म में उपरोक्त लोग जेल चले जायेंगे तथा मेरे चाचा जयराम यादव की जमीन जो मेरे कब्जे में है वो भी बच जायेगी और मेरे दुश्मन हत्या के जुर्म में सजा भी पा जायेगे क्योंकि इन लोगो के बाहर रहते ऐसा सम्भव नहीं था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 203/22 धारा 302, 34, IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अभि0 संतविजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	13/2019	147, 149, 504, 506, 323, 308, 452 IPC 3(1)(ध), 3(1)द, 3(2)(VA) SC/ST ACT	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	201/21	147, 149, 323, 352, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
3.	242/20	60 आबकारी अधिनियम	रौनापार	आजमगढ़
4.	87/12	376, 511, 306 IPC	राजेसुल्तानपुर	अम्बेडकरनगर
5.	203/22	302, 34 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
6.	210/22	3/25 A.Act	महाराजगंज	आजमगढ़

अभि0 कन्हैया यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	201/21	147, 149, 323, 352, 504, 506 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	203/22	302, 34 IPC	महाराजगंज	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1.संतविजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम अराजी अमानी थाना महाराजगंज आजमगढ़ उग्र
2. कन्हैया यादव पुत्र रामजी यादव सा0 अराजी आमानी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- आला कल्ल में प्रयुक्त एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर तीन अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय उ0नि0 कमलेश यादव , मय हमराह हे0का0 संतोष यादव , का0 रविकान्त , का0 राहुल कुमार , का0 संतोष कुमार द्वितीय, म0आ0 पूजा गुप्ता थाना महाराजगंज आजमगढ़।
- 2- एस0ओ0जी0 टीम प्रभारी श्री संजय सिंह मय टीम जनपद आजमगढ़।